न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 65/2024

अनवान : –

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश पुत्र नत्थुराम जाति मेहन्तर साकिन थिराना हाल निवासी हमीरदेसर तहसील रावतसर।
2. मुकेश पुत्र जगदीश पुत्र नत्थुराम जाति मेहन्तर साकिन थिराना हाल निवासी हमीरदेसर तहसील रावतसर।

– वादीगण

बनाम्

1. जगदीश पुत्र नत्थुराम जाति मेहन्तर साकिन थिराना तहसील नोहर हाल निवासी हमीरदेसर तहसील रावतसर।
2. मनीराम पुत्र बाबुलाल जाति मेहन्तर साकिन थिराना तहसील नोहर।
3. दुलाराम पुत्र संजु पुत्र नत्थुराम जाति मेहन्तर साकिन हमीरदेसर तहसील रावतसर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**

श्री मांगेराम बैनीवाल अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 21/6/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 324/156 की कुल 32.0080 हैक्ट भूमि स्थित है।

उक्त वाद भूमि में 632–3/4 हिस्सा भूमि नत्थुराम पुत्र बाला के नाम दर्ज थी उन नत्थुराम के स्वर्गवास के बाद उक्त वाद भूमि मे वादीगण संख्या 1 व 2 प्रतिवादीगण संख्या 1 बहिब 1/9 हिस्सा भूमि के व प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे। वाद भूमि विरासतन प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य नत्थुराम के वारिसान ने वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली। जिस पर न्यायालय हाजा के समक्ष वादीगण ने एक वाद सुरेन्द्र कुमार बनाम जगदीश आदि प्रकरण 329/2013 वाद पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 23.01.2023 को हुआ जिसके मुताबिक वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/9 हिस्सा बहिब व प्रतिवादी संख्या 2 भी 1/9 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि सहवन तौर से विरासतन प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने अकेले के नाम वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का हिस्सा दर्ज करवा लिया तथा वाद भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्से की 0.2530 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को बेचान कर दी तथा प्रतिफल प्राप्त कर लिया चूकी 1/9 हिस्सा की भूमि 0.8893 हैक्ट भूमि वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आधा [illegible] प्रतिवादी स0 1 द्वारा बेचान करने से प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त वाद भूमि में कोई हिस्सा नहीं बचा है वाद भूमि में वादीगण संख्या 1 व 2 का 0.6363 हैक्ट भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार है। शेष भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 जो की 0.8387 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार है। वाद भूमि बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:30:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पक्षकारान के मध्य बाहमी तौर से राजीनामा हो चुका है प्रतिवादी सं0 2 ने वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम थी को अपने नाम सहबन तौर से दर्ज होना स्वीकार कर लिया है। तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना नाम कलमजन करवाकर वादीगण संख्या 1 व 2 को 0.6363 हैक्ट भूमि व प्रतिवादी संख्या 3 को 0.8387 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार होना तस्स्लीम कर लिया है अतः प्रतिवादी संख्या 2 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवाकर वादीगण इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि सहवन तौर से विरासतन प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने अकेले के नाम वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का हिस्सा दर्ज करवा लिया तथा वाद भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्से की 0.2530 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को बेचान कर दी तथा प्रतिफल प्राप्त कर लिया चूकी 1/9 हिस्सा की भूमि 0.8893 हैक्ट भूमि वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आयी 1 बीघा भूमि प्रतिवादी स0 1 द्वारा बेचान करने से प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नही बचा है वाद भूमि में वादीगण संख्या 1 व 2 का 0.6363 हैक्ट भूमि के बाबत खातेदार काश्तकार है तथा शेष भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 जो की 0.8387 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:30:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है। वादीगण का कथन है कि वाद भूमि सहवन तौर से विरासतन प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने अकेले के नाम वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का हिस्सा दर्ज करवा लिया तथा वाद भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्से की 0.2530 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को बेचान कर दी तथा प्रतिफल प्राप्त कर लिया चूकी 1/9 हिस्सा की भूमि 0.8893 हैक्ट भूमि वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आयी 1 बीघा भूमि प्रतिवादी स0 1 द्वारा बेचान करने से प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नही बचा है वाद भूमि में वादीगण संख्या 1 व 2 का 0.6363 हैक्ट भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा शेष भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 जो की 0.8387 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार है, वादीगण के उक्त कथनो को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 324/156 की कुल 32.0080 हैक्ट भूमि में 1.475 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 व 2 को 0.6363 हैक्ट भूमि के बहिब के तथा 0.8387 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:30:37 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 65 / 2024

अनवान : –

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश पुत्र नत्थुराम जाति मेहन्तर साकिन थिराना हाल निवासी हमीरदेसर तहसील रावतसर।
2. मुकेश पुत्र जगदीश पुत्र नत्थुराम जाति मेहन्तर साकिन थिराना हाल निवासी हमीरदेसर तहसील रावतसर।

– वादीगण

बनाम्

1. जगदीश पुत्र नत्थुराम जाति मेहन्तर साकिन थिराना तहसील नोहर हाल निवासी हमीरदेसर तहसील रावतसर।
2. मनीराम पुत्र बाबुलाल जाति मेहन्तर साकिन थिराना तहसील नोहर।
3. दुलाराम पुत्र संजु पुत्र नत्थुराम जाति मेहन्तर साकिन हमीरदेसर तहसील रावतसर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 65 सन 2024 निर्णय दिनांक 21/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री मदन मोहन जोशी व वकील प्रतिवादीगण श्री मांगेराम बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 324 / 156 की कुल 32.0080 हैक्ट भूमि में 1.475 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 व 2 को 0.6363 हैक्ट भूमि के बहिब के तथा 0.8387 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:30:37 IST
Reason: SelfAttested